कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय चण्डीगढ़–II,

केन्द्रीय राजस्व भवन,प्लॉट नं0 19, सैक्टर 17–सी, चण्डीगढ़

सी.सं01–22(1)प्रशा./मुख्या/चण्डी–II/2017/653

दिनांक : 08.02.2017

निविदा सूचना
(हाउसकीपिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, चण्डीगढ़–II को रोपड़, पटियाला, डेराबस्सी, बठिंडा तथा मोहाली में स्थित मण्डल कार्यालयों के साथ मुख्यालय कार्यालय, चण्डीगढ़–II के परिशिष्ट–ए में विनिर्देश विवरण के अनुसार कुल 79472 वर्ग फुट क्षेत्रफल के **लिए** हाउसकीपिंगें सेवाएं **प्रदान करने हेतु ऐसे** सेवा प्रदाता जिनके पास ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत वैध लाइसेंस हो से बन्द लिफाफे में **निविदाएं** आमंत्रित **की जाती** हैं ।

कोटेशन दो बोली टैंडर पद्धति **के तहत** जिसमें तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली **हो,** अलग अलग लिफाफों में **प्रस्तुत की जायें तथा** प्रत्येक लिफाफे **पर** स्पष्ट रूप में तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली लिखा हो**,** आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा फार्म क्षेत्रफल विनिर्देश (परिशिष्ट–ए) में, सामान्य निबंधन और शर्ते (परिशिष्ट–**बी**), विशिष्ट निबंधन और शर्तें (परिशिष्ट–**सी**), कार्य विनिर्देश तथा कार्य क्षेत्र (परिशिष्ट–**डी**), घोषणा (परिशिष्ट–**ई**), तकनीकी बोली (परिशिष्ट–**एफ**) तथा वित्तीय बोली (परिशिष्ट–**जी**), दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ट–एच) **किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में** प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, चण्डीगढ़–II, पांचवॉ तल, प्लॉट नम्बर 19, सैक्टर 17–सी, चण्डीगढ़ से प्राप्त **किये** जा **सकते** है या विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in या http://cexchd1.gov.in/ से डाउनलोड **किये** जा **सकते** है ।

पूर्ण रूप से सील बन्द निविदा दस्तावेज धरोहर राशि **(इ ऍम डी)** 10,000/–रूपये (सिर्फ दस हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट **जो** सहायक मुख्य लेखा अधिकारी (वेतन एवं भुगतान), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,चण्डीगढ़–II के पक्ष में **देय हो,** के साथ इस कार्यालय में दिनाक **06.03..2017** सांय 5.00 बजे तक पहुंच **जाने** चाहिए । बिना धरोहर राशि जमा तथा **निर्धारित समय एवम तिथि** के बाद बोली स्वीकार नही की जाएंगी । तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली मनोनीत समिति के समक्ष दिनांक **07.03.2017** को **दोपहर** 3.00 बजे खोली जाएगी । यदि कोई बोलीदाता/बोलीदाता के प्रतिनिधि (बोलीदाता द्वारा विधिवत् प्राधिकृत) निविदा खोलने की प्रकिया में भाग लेना चाहते हो तो वे उपरोक्त बताए गए स्थान एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं ।

जो **बोली दाता** पूर्व–योग्यता **आवश्यक्ताये** पूरी नही करते उन पर विचार नही किया जाएगा । **केवल उन्ही** सेवा प्रदाताओं/एजैंसियों जो **नियम** और शर्तो को पूरा करते **हो,** की वित्तीय बोली खोली जाएगी ।

कार्यालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी **भावी** आवेदन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

अपर आयुक्त (प्रशासन)